न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

अनवान -

01- गुड्डी देवी पत्नी स्व. श्री इन्द्रजीत जाति जाट निवासी 10 एन.डी. हाल 1 डी. एम. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

02- अनिल
03- सुरेश } पि. स्व. श्री इन्द्रजीत जाति जाट निवासी 10 एन.डी. हाल 1 डी.एम. 3. सुरेश तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

-प्रार्थीगण-

बनाम-

01- विशमपाल पुत्र श्री दानाराम जाति जाट निवासी 10 एन.डी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

02- सरस्वती पत्नी श्रीराम जाति जाट निवासी 6 एल.एम. नाहरावाली तहसील अनूपगढ़ श्री गंगानगर (राज.)

03- मदन लाल
04- गिरधारी
05- बीरबल राम } पि. श्रीराम जाति जाट निवासी 6 एल.एम. नाहरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.।)

06- कमला पुत्री श्रीराम पत्नी श्री सुखराम जाति जाट निवासी 20 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

07- पानी देवी पत्नी श्योकरण जाति जाट निवासी 10 एन.डी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

08- सायरी पुत्री श्योकरण पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी नाहरावाली तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

09- बनवारी लाल पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी 10 एन.डी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

10- परमेश्वरी बेवा हरचन्दराम जाति जाट निवासी 6 एल.एम. तहसील अनूपगढ़

11- मनीराम पुत्र स्व. हरचन्दराम जिला श्री गंगानगर (राज.)

12- जगदीश पुत्र स्व. श्री हरचन्दराम जाति जाट निवासी 1 डी.एम. धांधड़ा तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

13- विमला पुत्री स्व. हरचन्दराम पत्नी सत्यनारायण पुनिया जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

14- गौरां पुत्री स्व. हरचन्दराम पत्नी जयनारायण पुनिया जाति जाट निवासी कूंपली तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

15- औम प्रकाश पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी 10 एन.डी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

16- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्री विजयनगर

17- उप पंजीयक श्रीविजयनगर।

18- सुनील कुमार पुत्र श्री स्व. श्री [illegible] जाति जाट निवासी 10 एनडी हाल 1 डीएम तहसील श्रीविजयनगर जिला श्री [illegible]

-अप्रार्थीगण -

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner

उपस्थिति- 01- श्री सुखदेव बुट्टर, वकील प्रार्थीगण
02- पैराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

राजस्व प्रकरण संख्या - 47/2018 निर्णय दिनांक - 20/12/25
(जी.सी.एम.एस.-2018/00094)

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेम में इस प्रकार है कि-

प्रार्थीगण द्वारा एक अनवानी वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत बाबत मुश्तरका खाता विभाजन किला वाईज खातेदार टीनेन्ट घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जिसके गुणावगुण पर कामयाब होने की पूरी आशा व आधार है। इस प्रार्थना पत्र को वाद पत्र का एक अभिन्न अंग व भाग समझा जाकर साथ पढ़ा जावे ताकि तथ्यों की पुनर्रावृति ना हो। प्रार्थीगण व मूल वाद के तरतीबी अप्रार्थी संख्या 18 सुनील कुमार व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 एवं अप्रार्थी संख्या 10 ता 14 के पिता हरचन्दराम मृतक तथा अप्रार्थी संख्या 15 के नाम से मुश्तरका खाता में चक 1 डी.एम. तहसील श्री विजयनगर का खाता संख्या 19 नया, 20 पुराना के प.नं. 82/27 मु.नं. 60 का किला नं. 10, 11, 18 ता 23 का 1.949 है. क./अ.क. एवं प.नं. 82/19 मु.नं. 61 के किला नं. 1 ता 25 का 6.199 है. क./अ.क. मय खाला रकबा व प.नं. 82/11 मु.नं. 62 के किला नं. 1 ता 25 का 6.198 है. क./अ.क. मयखाला इस प्रकार कुल 14.346 है. क./अ.क. मय खाला खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिक,र्ड है। जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 संलग्न वाद है। वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित उक्त समस्त मुश्तरका खाता षि भूमि में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 18 सुनील कुमार तरतीबी पक्षकार जो कि वादिया संख्या 1 का पुत्र व प्रार्थी संख्या 2 व 3 का भाई है, जिनका सयुंक्त 6.272 है. रकबा दर्ज राजस्व रिक,र्ड हिस्सा है। जो हम प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 18 सुनील कुमार के पति/पिता इन्द्रजीत का समस्त खरीद शुदा रकबा है। जो कि उनके देहान्त उपरान्त हम प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 18 को विरास्तन में प्राप्त हुआ है। वादग्रस्त संयुक्त मुश्तरका खाता षि भूमि में मुताबिक वर्तमान राजस्व रिक,र्ड प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 18 के दर्ज रिक,र्ड 6.272 है. रकबा के अतिरिक्त अन्य दर्ज सह खातेदारान अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 0.902 है., अप्राथी संख्या 2 ता 6 के नाम संयुक्त 1.793 है. अप्रार्थी संख्या 7 ता 9 के नाम से संयुक्त 1.793 है., अप्रार्थी संख्या 10 ता 14 के पति/पिता मृतक हरचन्दराम के नाम से 1.793 है. और अप्रार्थी संख्या 15 औम प्रकाश के नाम 1.793 है. दर्ज राजस्व रिक,र्ड है। जो कि दर्ज खातेदार हरचन्दराम का देहान्त हो चुका है इसलिए उसके विंधिक वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 10 ता 14 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है । कालान्तर में काफी अर्सा पूर्व ही उक्त पैरा संख्या 2 में अंकित मुश्तरका खाता की भूमि को सभी सह खातेदारान द्वारा आपसी सहमति एवं रजामन्दी से घरेलु बटवारा [illegible] वर्तमान में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उसी अनुसार घरेलु बंटवारा [illegible] से [illegible]ने अपने हिस्सा भूमि अनुसार [illegible] काबिज काश्त चले आ रहे घरू बंटवारा में आये विशिष्ट किला [illegible] 18 के पति/पिता द्वारा पूर्व दर्ज है। कालान्तर में प्रार्थीगण एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 18 [illegible] की आपसी [illegible]मति व घरेलु बंटवारा अनुसार प्रार्थी खातेदार इन्द्रजीत व अप्रार्थीगण की आपसी [illegible] व अप्रार्थी संख्या 18 के पिता स्व. संख्या 1 के पति व प्रार्थी संख्या 2 व 3 व तरतीबी अप्रार्थी संख्या 18 के पिता स्व. श्री इन्द्रजीत सिंह को उक्त समस्त संयुक्त खाता की भूमि में से घरेलु बंटवारा में चक

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1 डी.ए.एम. का प.नं. 82/19 मु.नं. 61 का किला नं. 11 ता 14 का 1.012 है., 17 ता 20 का 1.012 है., 21/1 का 0.228 है., 22/1 का 0.228 है., 23/1 का 0.228 है. 2.708 है., व प.नं. 82/11 मु.नं. 62 का किला नं. 6, 7 का 0. 506 है., 8 का 0.124 है., 12 ता 19 का 2.024 है., 22/1 का 0.228 है., 23/1 का 0.228 है., 24/1 का 0.227 है., 25/1 का 0.227 है. 3.564 है. कुल 6.272 है. भूमि प्राप्त हुई। जो कि प्रार्थीगण के पति/पिता द्वारा पूर्व दर्ज खातेदारान से खरीद करते समय दर्ज सह खातेदारान के उक्त अनुसार घरू विभाजन में चले आ रहे कब्जा काश्त उक्त किलाजात भूमि का ही कब्जा प्राप्त किया था। जिस पर प्रार्थीगण के पति/पिता स्व. श्री इन्द्रजीत के जीवन काल में उनका कब्जा काश्त था । एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसान हम प्रार्थीगण एवं तरतीवी पक्षकार संख्या 18 का निरन्तर, निर्बाध, शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। शेष रकबा पर अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण उपरोक्त रकबा घरू बंटवारा अनुसार किला वाईज भूमि पर शान्तिपूर्वक लगातार काबिज काश्त चले आ रहे है। जो कि उक्त बंटवारा सभी खातेदारान की आपसी सहमति से भूमि किस्म, रास्ता, सिंचाई आदि सूविधाओं अनुसार घरेलु विभाजन किया गया था। उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उपरोक्त वर्णित रकबा पर अपने अपने हिस्सा पर काबिज होकर सभी सह खातेदारान की सहमति व ज्ञान से काश्त करते आ रहे है। जिस पर कभी किसी को कोई एतराज नहीं रहा है। इसलिए घरेलु विभाजन से प्राप्त किला वाईज रकबा पर प्रार्थीगण का प्रतिकूल कब्जा साबित है। प्रार्थीगण एवं तरतीवी अप्रार्थी संख्या 18 द्वारा घरेलु विभाजन में प्राप्त उक्तानुसार कब्जा काश्त की भूमि को अपनी मानते हुए अथाह मेहनत व धन खर्च कर समतल आदि कर उपजाऊ बनाया है तथा सिंचाई साधन ट्यूबवैल आदि स्थापित किये है। जो कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के रकबा मु.नं. 82/19 के किला नं. 21 में रिहायशी पक्की ढाणी बनी हुई है। जिसमें प्रार्थीगण परिवार सहित निवास कर रहे है। परन्तु आज रोज भी भूमि संयुक्त खाता में चली आ रही है जिससे प्रार्थीगण को काश्त करने, भूमि सुधार हेतु विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा लगान आदि जमा करवाने में भी परेशानी होती है। जिस कारण से भी प्रार्थीगण को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थीगण पैरा संख्या 5 में घरेलु विभाजन से प्राप्त रकबा अनुसार विधिक विभाजन करवाकर पृथक-पृथक किलावाईज दर्ज करवाना चाहते है जिसके प्रार्थीगण विधिक अधिकारी है और संयुक्त खाता की भूमि में अंकित सह खातेदारान होने से अनवानी वाद लाने व विधिक विभाजन करवाने अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को समय समय पर उक्त घरेलु बंटवारा अनुसार व काश्त अनुसार मुश्तरका खाता भूमि का विधिक विभाजन करवाकर किला वाईज पृथक पृथक भूमि अपने अपने नाम करवाने हेतु कहा जाता रहा तो अप्रार्थीगण द्वारा आश्वासन दिये जाते रहे परन्तु किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं किया। बल्कि अनावश्यक टाल मटोल कर आश्वासन दिये जाते रहे कि जब कभी राजस्व कैम्प आदि लगेगा तो सभी सह खातेदारान इकट्ठे होकर ब्यान आदि देकर घरेलु विभाजन व कब्जा काश्त में चले आ रहे उक्तानुसार भूमि का विधिक विभाजन करवाकर किले वाईज पृथक-पृथक अंकन करवा लेंगे। अर्सा दराज से आपका घरेलु विभाजन अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है जिसमें किसी को कोई एतराज नही है। इसलिए आपकी चिन्ता का विषय नहीं है। जिस पर प्रार्थीगण सद्भावी रहे। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कार्यवाही कर कोई सहयोग नही किया गया बल्कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 14/06/2018 को राज्य सरकार द्वारा आयोजित न्याय आपके द्वारा कैम्प 2018 में सभी सह खातेदारान अप्रार्थीगण को उपस्थित होकर घरेलु विभाजन अनुसार खाता विभाजन करवाकर किलावाईज राजस्व रिकार्ड में अंकन

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally Signed by Shakuntala
Date: 2026.03.24 09:37:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

करवाने का कहा तो अप्रार्थीगण द्वारा कोई आवश्यक सहयोग नहीं किया व टाल मटोल की तथा अप्रार्थीगण द्वारा सहमति से घरेलु विभाजन अनुसार खाता विभाजन करवाने से इन्कार हो गये। यही तारीख बिनाए मुखास्मत वाद कारण है। प्रार्थीगण द्वारा अपने दर्ज रिकार्ड हिस्सा अनुसार घरू विभाजन में प्राप्त रकबा के उक्त किलाजात भूमि को समतल आदि कर ड्रिप सिंचाई सुविधा से काश्त किये जाने पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि में उपजाऊपन होने व पैदावार में निरन्तर वृद्धि होने से तथा प्रार्थीगण के पति/पिता की मृत्यू हो जाने पर अप्रार्थीगण के मन में अब लालच व बेईमानी आ गई है। जिस कारण घरू विभाजन कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन किलावाईज करवाने से अनावश्यक गुरेज कर रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण का अप्रार्थीगण की सहमति व ज्ञान से ही शान्ति पूर्वक व निरन्तर कब्जा काश्त वर्णित किलावाईज भूमि पर चला आ रहा है। मौका पर प्रार्थीगण द्वारा फसल बिजान की हुई है। प्रार्थीगण के पति/पिता द्वारा अप्रार्थीगण की सहमति व ज्ञान से ही कब्जा काश्त की वर्णित भूमि के रकबा में काफी धन खर्च कर ढाणी बनाई हुई है। जिस कारण अप्रार्थीगण के किसी गैर कानूनी कृत्य से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त के रकबा में किसी प्रकार बेजा मदाखलत किये जाने से प्रार्थीगण को अपने कब्जा काश्त खातेदारी हिस्सा की भूमि से महरूम होना पडेगा। प्रार्थीगण के विधिक अधिकार प्रभावित होगे। विवादित मुश्तरका खाता की भूमि में किसी खातेदारान द्वारा यदि संयुक्त खाता रहते किसी प्रकार कोई भूमि हस्तान्तरण आदि कर दिया जाता है तो तृतीय पक्ष के हक सृजित हो जाने से प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा, जो कि वादग्रस्त कृषि भूमि के पूर्व दर्ज खातेदारान द्वारा हिस्सा वाईज बेचान किये जाते रहने से पूर्ण आशंका भी है, इसलिए मुश्तरका खाता में दर्ज भूमि के विधिक विभाजन होकर पृथक-पृथक किला वाईज घरेलु विभाजन अनुसार राजस्व अंकन होने तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निपेधाज्ञा प्राप्त करने के भी विधिक अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थीगण दर्ज रिकार्ड सह खातेदारान व घरू बंटवारा में किला वाईज उक्त अनुसार काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है। अप्रार्थी राजस्थान सरकार भू-धारक होने के कारण से आवश्यक पक्षकार है इसलिए अप्रार्थी संख्या 16 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। एवं अप्रार्थी संख्या 17 के समक्ष कोई भी पंजीयन दस्तावेज पंजीबद्ध होने के कारण आवश्यक पक्षकार मुकंदमा बनाया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक विवादित संयुक्त मुश्तरका खाता कृषि भूमि चक 1 डी.एम. तहसील श्री विजयनगर का खाता संख्या 19 नया, 20 पुराना के प.नं. 82/27 मु.नं. 60 का किला नं. 10, 11, 18 ता 23 का 1.949 है. क./अ.क. एवं प.नं. 82/19 मु. नं. 61 के किला नं. 1 ता 25 का 6.199 है. क./अ.क. मय खाला रकबा व प.नं. 82/11 मु.नं. 62 के किला नं. 1 ता 25 का 6.198 है. क./अ.क. मयखाला इस प्रकार कुल 14.[illegible] क./अ.क. मय खाला खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार स्वयं अन्य [illegible] माध्यम से प्रार्थीगण के हिस्सा कब्जा काश्त की भूमि में कोई बेचान [illegible] तथा किसी विशिष्ट हिस्सा का रहन, बैय, विक्रय आदि हस्तान्तरण करने से [illegible] ममनू रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:57:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 15 एव 18 वाद तामील नोटिस उपस्थित नहीं। इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार राज औपचारिक पक्षकार है जिसके जवाब की आवश्कता नहीं।

हमारे द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि वाके चक 1 डी.एम. तहसील श्री विजयनगर का खाता संख्या 19 नया, 20 पुराना के प.नं. 82/27 मु.नं. 60 का किला नं. 10, 11, 18 ता 23 का 1.949 है. क./अ.क. एवं प.नं. 82/19 मु. नं. 61 के किला नं. 1 ता 25 का 6.199 है. क./अ.क. मय खाला रकबा व प.नं. 82/11 मु.नं. 62 के किला नं. 1 ता 25 का 6.198 है. क./अ.क. मयखाला इस प्रकार कुल 14.346 है. क./अ. क. मय खाला खातेदारीं कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम से संयुक्त खाते में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण उक्त भूमि में सह-खातेदार व सह-काश्तकार है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि चक 1 डी.एम. तहसील श्री विजयनगर का खाता संख्या 19 नया, 20 पुराना के प.नं. 82/27 मु.नं. 60 का किला नं. 10, 11, 18 ता 23 का 1.949 है. क./अ.क. एवं प.नं. 82/19 मु. नं. 61 के किला नं. 1 ता 25 का 6.199 है. क./अ.क. मय खाला रकबा व प.नं. 82/11 मु.नं. 62 के किला नं. 1 ता 25 का 6.198 है. क./अ.क. मय खाला इस प्रकार कुल 14.346 है. क./अ.क. खातेदारी भूमि की वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शंकुतला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.03.24 09:37:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner